**(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE-EXTRA ORDINARY)**
**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**
**DIRECTORATE OF EDUCATION**
**OLD SECRETARIATE: DELHI-110054**

NO.DE.15 (191)/Act-I/2013/11419-11422 Dated :- 25/10/2013 2013

## NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred under section 3 of the Delhi School Education Act, 1973 read with rule 43 of Delhi School Education Rules, 1973, the Administrator/Lt. Governor of Delhi is pleased to issue the following policy directives for running second shift/afternoon in unaided public schools:-

(1) Governing Body/Society/Management running Ist shift school only shall have the authority to apply for recognition of its IInd shift.

Proposal for running any such school in II shift shall be submitted by the Society/Governing Body running the I shift after taking the PTA in to confidence.

(2) Any such school running in II shift shall run as a 'new entity' and as an independent school and shall maintain separate records and accounts. It implies that such a school shall not be considered as an extension of the I shift or the morning shift.

(3) Any such school shall have to get fresh recognition and affiliation, wherever applicable, and shall conform to the rules and norms of RTE Act, 2009 and DSEAR 1973 and rules framed there under.

(4) Any such school shall have to employ its own staff ( both teaching as well as non-teaching including the school Principal as per the applicable rules (RRs).

(5) Any such school SHALL NOT ENTERTAIN SHIFTING/TRANSFER OF STUDENTS, including children belonging to EWS and Disadvantaged Group Category, to I shift or vice versa under any circumstances.

(6) Any such school shall admit students strictly following neighborhood criteria in view of safety and security of students studying therein.

(7) Any such school shall charge Development Fund and Annual Charges from its students just to make the school financially sustainable.

(8) Any such school shall not have timings overlapping with the morning shift (I shift) and there shall be a gap of at least half-an- hour between the two shifts. As per the schedule (Norms and standards for a school) to the RTE Act, 2009 working days/instructional hours in an academic year both for the students and the teachers are annexed herewith for compliance.

(9) Any such school shall have to share infrastructural facilities of the Ist shift and for this purpose a memorandum of understanding is required to be signed by the Managing Committees of both shifts so that the rights, responsibilities and limitations of both the shifts are

(10) Any such school shall have to grant admission to students belonging to EWS and Disadvantaged Group category as per the existing norms.

(11) Governing Body/Society/ Management of I shift school shall not charge any rent or any developmental charges from the II shift school. This implies that the II shift school shall be under no obligation to pay any rent and/or development charges to the I shift. This will ensure that there is no such financial burden/liability on II shift school which may ultimately be passed on to the students studying in II shift.

(12) For better coordination, Management of both the schools should be common except for the representatives of teachers and students (parents).

(13) There is no need to take NOC from any land owning agency such as DDA as the land is allotted to the society for running the school only.

(14) Adequate security and safety arrangements must be provided for students and staff of second shift. Security Guards and ayahs to be sent as escorts.

(15) The DOE may ask the schools opting for second shift to submit separate annual information about staff/students/fee etc. They may also ask for the Provident Fund Number of teachers teaching in second shift. This will ensure that the teachers teaching in the morning shift are not employed in the afternoon shift.

(16) The trust/societies interested in starting the second shift may be asked to submit the balance sheet of the trust/society for the past three years. This is to ensure that the trust/society is financially strong enough to pay the salary as per govt. rules. It should not happen that after opening the school they express their inability to pay salary as per rules.

By order and in the name of
The Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi

(DR. MADHU RANI TEOTIA, IAS)
ADDITIONAL SECRETARY
(EDUCATION)

NO.DE.15 (191)/Act-I/2013/11419-11422 Dated :- 25/10/2013 2013

Copy to the:-
1. P.S. to Minister of Education, GNCT of Delhi.
2. P.S. Principal Secretary (Education), Dte. of Education, Old Sectt., Delhi.
3. P.S. Director (Education), Dte. of Education, Old Sectt., Delhi.
4. All RDEs/DDEs, Dte. of Education to circulate the order to all the Govt./Aided/Un-aided schools under their respective jurisdictions.

6. Addl. D.E. (Act-II), Dte. of Education, Old Sectt., Delhi.
7. Addl. D.E. (School Branch), Dte. of Education, Old Sectt., Delhi.
8. OSD to Chief Secretary, GNCT of Delhi.
9. O.S.(IT) with the request to up-load on the deaprtment's website.
10. Guard file.

(DR. MADHU RANI TEOTIA, IAS)
ADDITIONAL SECRETARY
(EDUCATION)

| | |
|---|---|
| **Minimum number of working days/instructional hours in an academic year** | (i) two hundred working days for first to class fifth.<br>(ii) two hundred and twenty working days for sixth class to eighth class;<br>(iii) eight hundred instructional hours per academic year for first to class fifth class;<br>(iv) one thousand instructional hours per academic year for sixth class to eighth class; |
| **Minimum number of working hours per week for the teacher** | forty-five teaching including preparation hours. |

At present all double shifted Govt. schools run for 5 hours 30 minutes in summers and 5 hour 10 minutes in winters; for 210 days in an academic year.

Even KVs are being run in Delhi with the following timings:

<u>For students:</u>

Morning Shift – From 7.00 am to 12.25 pm – A total of 5 hour 25 minutes in summers.

From 7.30 am to 12.25 pm – A total of 4 hour and 55 minutes in winters.

Evening Shift – From 12.30 pm to 6.00 pm – A total of 5 hour 30 minutes in summers.

From 12.30 pm to 5.50 pm – A total of 4 hour and 50 minutes in winters.

For teachers:

Morning Shift – From 6.50 am to 2.20 pm – A total of 7 hour 30 minutes in summers.

Evening Shift – From 10.45 am to 6.15 pm – A total of 7 hour 30 minutes in summers.

**Likewise, if unaided recognized schools are allowed to run II Shift, the requirements of Minimum number of working days/instructional hours in an academic year for students and teachers shall be met in the following manner:**

i) For first to class fifth:

For students - With 200 working days at hand, the condition of 800 instructional hours per academic year at the rate of 4 instructional hours per day can be easily met. Remaining time can be devoted to assembly and lunch break.

For Teachers – Teachers will have extended duty hours to meet the requirement of forty-five teaching hours per week including preparation hours.

ii) For classes sixth to eighth:

For students - With 220 working days at hand, the condition of 1000 instructional hours per academic year at the rate of 4 hour 35 minutes as instructional hours per day can be easily met. Remaining time can be devoted to assembly and lunch break.

For Teachers – Teachers will have extended duty hours to meet the requirement of forty-five teaching hours per week including preparation hours.

# (दिल्ली राजपत्र भाग – 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
# राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
# (शिक्षा निदेशालय)
# पुराना सचिवालय, नई दिल्ली –110054

पत्र क्रमांक डी.ई.15(191)अधि–1/2013/11419-11422 दिनांक25/10/2013

## अधिसूचना

दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 के नियम 43 के साथ पठित दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा प्राइवेट मान्यता प्राप्त विद्यालयों में द्वितीय पाली/दोपहर का स्कूल चलाने के लिए निम्न नीति–निर्देशों को जारी किया जाता है।

1 विद्यालय की प्रथम पाली संचालन करने वाली संचालक संस्था/समिति/प्रबन्धन को ही द्वितीय पाली की मान्यता हेतु आवेदन करने का अधिकार होगा।

प्रथम पाली का संचालन करने वाली संचालक संस्था/समिति, विद्यालय के शिक्षक–अभिभावक संघ को विश्वास में लेकर द्वितीय पाली चलाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगी।

2 ऐसा कोई विद्यालय जो द्वितीय पाली में चलेगा उसे एक नई ईकाई के रूप व स्वतंत्र विद्यालय के रूप में माना जाएगा तथा वह विद्यालय अलग दस्तावेज व लेखा रखेंगा। अर्थात् द्वितीय पाली को किसी भी रूप में प्रथम पाली के विस्तार के रूप में नहीं समझा जाएगा।

3 ऐसे किसी भी विद्यालय/द्वितीय पाली के विद्यालयों को, पृथक रूप से नवीन मान्यता और संबद्धता, जहां भी लागू हो, लेनी होगी एवम् दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम एवम् नियम, 1973 एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों और मापदण्डों का अनुपालन करना होगा।

4 ऐसे किसी भी विद्यालय/द्वितीय पाली के विद्यालयों को विद्यालय संचालन हेतु अपने कर्मचारियों (शिक्षण और गैर शिक्षण), प्रधानाचार्य सहित समयानुसार लागू भर्ती नियमों के अनुसार भर्ती करनी होगी।

5 ऐसे किसी भी विद्यालय/द्वितीय पाली के विद्यालयों को किसी भी परिस्थिति में छात्रों (आर्थिक रूप में कमजोर और वंचित समूह सहित) को प्रथम पाली से द्वितीय पाली या द्वितीय पाली से प्रथम पाली में स्थानतंरण करने का अधिकार नहीं होगा।

6 ऐसे किसी भी विद्यालय/द्वितीय पाली के विद्यालयों को पढ़ने वाले छात्रों/छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए, दाखिला हेतु आस–पड़ोस मानदण्डों का सख्ती से पालन करना होगा।

7 इस तरह के विद्यालय अपने आप को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए अपने छात्र/छात्राओं से विद्यालय विकास कोष व वार्षिक शुल्क वसूल कर सकता है।

8 इस तरह के विद्यालय का समय सुबह की पाली के अतिव्यापी नहीं होगा और दोनों पालियों के बीच कम से कम आधे घण्टे का अंतराल होगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय के कार्य दिवस/शैक्षणिक वर्ष में शिक्षण घण्टे (स्कूल के मानदण्ड और मानक के अनुसार) अनुपालन हेतु सलंग्न है।

9 इस तरह के विद्यालय को सुबह की पाली की आधारभूत सुविधाओं को साझा करना होगा, और इस उद्देश्य के लिए एक समझौता ज्ञापन दोनों पालियों की प्रबंधक समितियों के द्वारा

हस्ताक्षर किया जायेगा, जिससे कि दोनों पालियों की जिम्मेदारियों और सीमाओं को समझा जाएगा तदनुसार दस्तावेज बनाए जाएंगे।

10 इस तरह के विद्यालय को मौजूदा मानदंड के अनुसार आर्थिक रूप में कमजोर और वंचित समूह वर्ग से संबधित छात्रों को प्रवेश देना होगा।

11 प्रथम पाली की संचालक संस्था/समिति/प्रबन्धन, द्वितीय पाली के विद्यालय से किसी भी प्रकार का किराया या विकास शुल्क आदि नहीं लेगी। इसका तात्पर्य यह है कि द्वितीय पाली का विद्यालय प्रथम पाली के विद्यालय को किराया/विकास शुल्क भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि द्वितीय पाली के विद्यालय पर अतिरिक्त वित्तीय भार/दायित्व नहीं पड़े, जोकि अंततः द्वितीय पाली के विद्यार्थियों को वहन करना पड़ता।

12 दोनों पालियों के बेहतर समन्वय के लिए, दोनों विद्यालयों का प्रबन्धन (शिक्षकों और छात्रों के प्रतिनिधियों को छोड़कर) समान होना चाहिए।

13 भूमि आबंटन करने वाली संस्था जैसेकि दिल्ली विकास प्राधीकरण आदि से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योकि भूमि पहले से ही सम्बधित समिति को विद्यालय संचालन हेतु आंबटित की गई है।

14 द्वितीय पाली के छात्रों/कर्मचारियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा और बचाव व्यवस्था प्रदान की जानी चाहिए। सुरक्षा गार्ड और आया एस्कॉट्र्स के रूप में भेजे जाने चाहिए।

15 शिक्षा निदेशालय उन विद्यालयों से, जो द्वितीय पाली के संचालन हेतु इच्छुक है, उनके कर्मचारियों/छात्रों/शुल्क आदि के बारे में अलग से वार्षिक जानकारी ले सकता है। इसके अलावा दूसरी पाली के शिक्षकों की भविष्य निधि संख्या के विषय में भी जानकारी ले सकता है। यह सुनिश्चित करेगा कि प्रथम पाली के शिक्षकों को द्वितीय पाली में शिक्षण हेतु भर्ती नहीं किया जा सकेगा।

16 ऐसे न्यास/समिति जोकि द्वितीय पाली के विद्यालय के संचालन हेतु इच्छुक है को उनकी पिछले तीन सालों की बैलेंस शीट प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है। जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सम्बधित न्यास/समिति अपने कर्मचारियों को सरकारी नियमों के अनुसार वेतन, भत्ता देने के लिए आर्थिकरूप से समक्ष है। ऐसा न हो कि द्वितीय पाली का विद्यालय शुरु करने के पश्चात् संम्बधित न्यास/समिति नियमानुसार वेतन भुगतान करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करें।

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल**
**के आदेश से तथा उनके नाम पर,**

मधु तेवतिया

**(डॉ0 मधु रानी तेवतिया) आई.ए.एस**
**अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)**

पत्र क्रमांक डी.ई.15(191)अधि–1/2013/ 11419 - 11422 दिनांक 25/10/2013

**प्रतिलिपि :**

1. शिक्षा मंत्री, दिल्ली सरकार के निजी सचिव।
2. प्रधान सचिव (शिक्षा विभाग) दिल्ली सरकार, के निजी सचिव।
3. निदेशक (शिक्षा विभाग) दिल्ली सरकार, के निजी सचिव।

4. सभी आर डी.ई./डी.डी.ई. शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि सम्बधित अधिसूचना को अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संज्ञान में लायें।
5. अतिरिक्त शिक्षा निदेशक, अधिनियम–1 शाखा (शिक्षा विभाग) दिल्ली सरकार।
6. अतिरिक्त शिक्षा निदेशक, अधिनियम–2 शाखा (शिक्षा विभाग) दिल्ली सरकार।
7. अतिरिक्त शिक्षा निदेशक, विद्यालय शाखा (शिक्षा विभाग) दिल्ली सरकार।
8. मुख्य सचिव के विशेष कार्य अधिकारी, दिल्ली सरकार।
9. कार्यालय अधीक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) को शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट में डालने के अनुरोध सहित ।

10 गार्ड फाइल ।

मधु तेवतिया

**(डॉ0 मधु रानी तेवतिया) आई.ए.एस**
**अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)**

| | |
|---|---|
| एक शैक्षिणक वर्ष में<br>न्यूनतम कार्य दिवसों/शैक्षिणक घण्टों की संख्या | (1) पहली से पांचवी कक्षा के लिए 200 कार्य दिवस<br>(2) छठी से आठवी कक्षा के लिए 220 कार्य दिवस<br>(3) पहली से पांचवी कक्षा के लिए 800 शैक्षिणक घण्टें प्रति शैक्षिणक वर्ष<br>(3) छठी से आठवी कक्षा के लिए 1000 शैक्षिणक घण्टें प्रति शैक्षिणक वर्ष |
| अध्यापक के लिए<br>न्यूनतम कार्य घण्टें प्रति सप्ताह | (1) 45 शैक्षिणक घण्टे तैयारी घण्टों सहित |

वर्तमान समय में सभी दोनों पालियों में चलने वाले सरकारी स्कूलों की समय अवधि ग्रीष्मकाल में 5 घण्टें 30 मिनट और शीतकाल में 5 घण्टें 10 मिनट (एक शैक्षिणक वर्ष में 210 दिन) है।

दिल्ली में चलने वाले केन्द्रीय विद्यालयों का भी समय निम्नानुसार है :–

<u>छात्रों के लिए</u>

| | |
|---|---|
| प्रथम पाली/सुबह का स्कूल | प्रातः 7.00 बजे से दोपहर 12.25 तक ( 5 घण्टे 25 मिनट ) ग्रीष्मकाल में |
| | प्रातः 7.30 बजे से दोपहर 12.25 तक ( 4 घण्टे 55 मिनट ) शीतकाल में |
| द्वितीय पाली/दोपहर का स्कूल | दोपहर 12.30 बजे से सायं 6.00 तक ( 5 घण्टे 30 मिनट ) ग्रीष्मकाल में |
| | दोपहर 12.30 बजे से सायं 5.50 तक ( 4 घण्टे 50 मिनट ) शीतकाल में |

<u>अध्यापकों के लिए</u>

| | |
|---|---|
| प्रथम पाली/सुबह का स्कूल | प्रातः 6.50 बजे से दोपहर 2.20 तक ( 7 घण्टे 30 मिनट ) ग्रीष्मकाल में |
| द्वितीय पाली/दोपहर का स्कूल | प्रातः 10.45 बजे से सायं 6.15 तक ( 7 घण्टे 30 मिनट ) शीतकाल में |

समानरूप से यदि अनुदान रहित मान्यता प्राप्त विद्यालों को द्वितीय पाली चलाने हेतु अनुमति दी जाती है तो छात्रों एवं अध्यापकों हेतु एक शैक्षिणक वर्ष में न्यूनतम कार्यदिवसों/शैक्षिणक घण्टों की संख्या निम्नरूप से लागू होगी।

(1) पहली से पांचवी कक्षा के लिए :–

**<u>छात्रों के लिए</u>** 200 कार्य दिवस के साथ 800 शैक्षिणक घण्टें प्रति शैक्षिणक वर्ष (4 शैक्षिणक घण्टें प्रति दिन की दर से) आसानी से लागू किये जाए। बाकी बचा समय सभा व भोजनावकाश के लिए उपयोग किया जाए।

**<u>अध्यापकों के लिए</u>** अध्यापकों के लिए विस्तारित कार्य घण्टें लागू होंगे, ताकि 45 शैक्षिणक घण्टें तैयारी घण्टों सहित प्रति सप्ताह पूरे किये जा सके।

मधु तेवतिया

(2) छठी से आंठवी कक्षा के लिए :–

<u>**छात्रों के लिए**</u> 220 कार्य दिवस के साथ 1000 शैक्षिणक घण्टें प्रति शैक्षिणक वर्ष, (4 घण्टें 35 मिनट प्रति दिन की शैक्षिणक अवधि) की दर से आसानी से लागू किये जाए। बाकी बचा समय सभा व भोजनावकाश के लिए उपयोग किया जाए।

<u>**अध्यापकों के लिए**</u> अध्यापकों के लिए विस्तारित कार्य घण्टें लागू होंगे, ताकि 45 शैक्षिणक घण्टें तैयारी घण्टों सहित प्रति सप्ताह पूरे किये जा सके।

मधु तेवतिया